

पालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फरद अहकाम

12<sup>10</sup>  
 24 पत्तावली देश डुरी। वाडी व काडी वकील उपस्थित  
 नहीं। प्रकरण के वाडी व काडी वकील को बाल-बाल  
 केवान लगावने जाने के बावजूद उपस्थित नहीं  
 हुए। मसले जाटिए हैं कि प्रकरण को वाडी व  
 वाडी वकील को चलाने के रुपि नहीं  
 ले रहे। अतः सु.नं. 58/16 दावा  
 वामसदाप पनाक रमेश कां. अदम पैरवी  
 व अदम डालिरी के माहित किना जाता  
 है। पत्तावली फेंसक शुमार की जाकर  
 बखशान से कम करते हुए, दारिजल उपखण्ड की

